न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 01/2014

सायल :–	**बनाम**	**गैरसायलः–**
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		शैतानसिंह पुत्र मांगुसिंह राजपुरोहित निवासी धर्मपुरा कुम्हारों का बास पाली, कोतवाली थाना पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल की ओर से गुलाबराम मीणा अधिवक्ता

:: निर्णय ::

दिनांक :– 2[illegible].03.2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 25.02.2014 को गैरसायल श्री शैतानसिंह पुत्र मांगुसिंह राजपुरोहित निवासी धर्मपुरा कुम्हारों का बास पाली, कोतवाली थाना पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली का आपराधिक प्रवति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2003 से 2012 तक कुल 45 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमे से कुल 07 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजा से दण्डित किया जा चुका है तथा 28 प्रकरण न्यायालय में जैर ट्रायल चल रहे है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	कोतवाली पाली	563/22.10.2003	379 भादस	14.01.2004 को एसीजेएम कोर्ट पाली से सन्देह का लाभ देकर बरी।
2	कोतवाली पाली	25/08.01.2004	379 भादस	31.10.2006 को एसीजेएम पाली से 6 माह का कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड।
3	कोतवाली पाली	34/13.01.2004	380 भादस	दि0 31.10.2007 को एसीजेएम कोर्ट पाली से दोष मुक्त।
4	कोतवाली पाली	36/13.01.2004	380 भादस	दि0 03.03.2009 को एसीजेएम कोर्ट पाली से दोष मुक्त।
5	कोतवाली पाली	39/15.01.2004	457,380 भादस	21.01.2010 को एसीजेएम कोर्ट पाली से बरी
6	कोतवाली पाली	47/17.01.2004	457,380 भादस	20.02.2007 को एसीजेएम (सा.द.) से बरी
7	कोतवाली पाली	237/14.05.2005	379 भादस	01.05.2012 को 6 माह का साधारण कारावास व 200 रूपये जुर्माना
8	कोतवाली पाली	360/29.07.2005	457,380 भादस	03.09.2012 को एसीजेएम कोर्ट पाली से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त।
9	कोतवाली पाली	473/24.09.2005	457,380 भादस	जैर ट्रायल
10	कोतवाली पाली	474/24.09.2005	457,380 भादस	जैर ट्रायल
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

	पाली			लाभ देकर बरी
12	कोतवाली पाली	156/18.04.2006	379 भादस	07.02.2007 को सीजेएम कोर्ट पाली से संदेह का लाभ देकर बरी
13	कोतवाली पाली	159/19.04.2006	457,380 भादस	जैर ट्रायल
14	सदर पाली	161/20.04.2006	457,380 भादस	जैर ट्रायल
15	कोतवाली पाली	162/21.04.2006	457,380 भादस	20.08.2007 को सीजेएम कोर्ट पाली से 4 पीओ एक्ट का लाभ देकर 2 साल के लिए पाबंद
16	सदर पाली	530/03.11.2007	379 भादस	18.09.2012 को एसीजेएम कोर्ट पाली से दोष मुक्त
17	कोतवाली पाली	148/22.04.2008	379 भादस	04.02.2012 को सीजेएम कोर्ट पाली से 6–6 माह का साधारण कारावास व 200–200 रूपये जुर्माना
18	कोतवाली पाली	257/26.06.2008	379 भादस	जैर ट्रायल
19	कोतवाली पाली	380/20.09.2008	379 भादस	जैर ट्रायल
20	कोतवाली पाली	449/21.10.2008	379 भादस	20.03.2012 को एसीजेएम(सी.आर.)पाली से संदेह का लाभ देकर बरी
21	कोतवाली पाली	450/21.10.2008	379 भादस	जैर ट्रायल
22	बिलाडा जोधपुर	517/12.10.2008	379 भादस	जैर ट्रायल
23	बिलाडा जोधपुर	537/24.10.2008	379 भादस	जैर ट्रायल
24	कोतवाली पाली	50/06.02.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
25	कोतवाली पाली	84/03.03.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
26	कोतवाली पाली	209/20.05.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
27	कोतवाली पाली	52/06.02.2010	379 भादस	16.03.2012 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 6 माह का साधारण कारावास
28	कोतवाली पाली	153/15.04.2010	379 भादस	3.12.12 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 1 वर्ष का कारावास
29	कोतवाली पाली	238/13.06.2010	379 भादस	24.08.2011 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 6 माह का कारावास
30	बालेसर जोधपुर	68/10.06.2010	379/34 भादस	जैर ट्रायल
31	सदर कोतवाली जोधपुर	43/18.03.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
32	प्रताप नगर जोधपुर	221/17.05.2010	379,401 भादस	जैर ट्रायल
33	प्रताप नगर जोधपुर	210/10.05.2010	379,483,401 भादस	जैर ट्रायल
34	सदर कोतवाली जोधपुर	56/03.04.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
35	सदर कोतवाली	71/06.05.2010	379 भादस	जैर ट्रायल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

	जोधपुर			
36	सदर कोतवाली	74/19.05.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
37	बासनी जोधपुर	101/10.04.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
38	महामन्दिर जोधपुर	134/01.04.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
39	डांगियावास जोधपुर ग्रा.	63/09.05.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
40	सदरकोतवाली जोधपुर	47/22.03.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
41	महामन्दिर जोधपुर	140/06.04.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
42	कोतवाली	285/10.08.2011	224,353,216, भादस	जैर ट्रायल
43	कोतवाली	143/16.08.2011	379 भादस	जैर ट्रायल
44	कोतवाली	39/22.01.2010	379 भादस	जैर ट्रायल
45	कोतवाली	186/01.05.2012	332,353,224/511 भादस	जैर ट्रायल

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल श्री शैतानसिंह पुत्र मांगुसिंह राजपुरोहित निवासी धर्मपुरा कुम्हारों का बास पाली, कोतवाली थाना पाली बदमाश झगडालु एवं वाहन चौरी के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। गैर सायल थाना हाजा मे एच.एस भी है गैर सायल किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छुटने पर पुनः वाहन चौरी की वारदाते करता है जिससे आम जनता में भय व्याप्त है, लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद होने पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गयी। बाद तामिल गैरसायल मय वकील उपस्थित हुए। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन वाहन चौरी के धन्धा करता है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल अब वाहन चोरी का धन्धा नही करता है तथा न ही किसी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस द्वारा अपना टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से गैरसायल के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 98/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए भादस धारा 379 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200 रूपये के अर्थदण्ड के साथ 6–6 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया। इसी प्रकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली द्वारा प्रकरण संख्या 125/2011 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए भादस धारा 379 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते 6–6 माह के साधारण कारावास से दंण्डित किया गया। इसी प्रकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 101/2011 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए 379,411,120 बी भादस में अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 01 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया। इसी प्रकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 98/2011 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 379 भादस में अपराध दोषसिद्ध घोषित करते हुए 6–6 माह का साधाराण कारावास से दण्डित किया गया । इसी प्रकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 125/2011 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 379 भादस में अपराध दोषसिद्ध घोषित करते हुए 6 माह को साधारण कारावास से दण्डित किया गया। इसी प्रकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 126/2011 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 379 भादस में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 6 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(2)(ख)(iii) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर गैरसायल श्री शैतानसिंह पुत्र मांगुसिंह राजपुरोहित निवासी धर्मपुरा कुम्हारों का बास पाली, कोतवाली थाना पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली से निष्काषित कर जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा निर्धारित थाने में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल शैतानसिंह, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। गैरसायल को आदेश दिये जाते है कि वह तत्काल पाली जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा निर्धारित थाने से सम्बन्धित थानाधिकारी गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित

प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी कोतवाली पाली, जिला पाली एवं जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली